न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 03 /2020

1. गुरनेब सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एच तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

--निर्णय-- **दिनांक 09.01.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 32 एच के मु.न. 27 के किला न. 15 में 0.076 हैक्टर भूमि व मु. न. 24 में 2.303 हैक्टर व मु.न. 26 में 0.600 हैक्टर व मु.न. 10 में 0.520 हैक्टर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। परन्तु सीसीए रिकॉर्ड व पानी की पर्ची के अनुसार उक्त भूमि पर मौका पर पानी लग रहा हैं। उक्त रकबा पर किसी अदालत का स्थगन आदेश नही है ना ही कब्जा बाबत कोई विवाद है। अतः उक्त रकबा बारानी से नहरी दर्ज किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 32 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 6 के मु.न. 9 व 10 व इसी चक के खाता संख्या 12 के मु.न. 24,27, की जमाबन्दी प्रस्तुत की एवं सीसीए स्टेटमेन्ट की प्रति, पर्ची बाराबन्दी (पानी की पर्ची), प्रति पेश की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री करणपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांकः टीआरए/ 724 दिनांक 31.12.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 32 एच के मु.न. 27 के किला न. 15 में 0.76 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज है।, व मु.न. 24 के किला न. 1 ता 3 सालम, किला न. 4 के 0.240 हैक्टर, किला न. 5 के 0.114 हैक्टर, किला न. 7 के 0.051 हैक्टर, किला न. 8 के 0.202 हैक्टर, किला न. 9 ता 11 सालम किला न. 12 के 0.127 हैक्टर किला न. 20 के 0. 051 हैक्टर, कुल 2.303 हैक्टर बारानी भूमि व मु.न. 26 के किला न. 1 के 0.228 हैक्टर, किला न. 2 के 0.227 हैक्टर, किला न. 3 के 0.063 हैक्टर, किला न. 9 के 0.063 हैक्टर, किला न. 10 के 0.013 हैक्टर, कुल 0.594 हैक्टर बारानी भूमि व मु. न.10 के किला न. 1 के 0.253 हैक्टर, किला न. 2 के 0.228 हैक्टर, किला न. 3 के 0.013 हैक्टर, किला न. 10 के 0.088 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। तथा मौके पर जाकर जॉच की गई तो पाया गया कि उपर्युक्त रकबे पर सिंचाई नहर द्वारा की जाती है। जमाबन्दी सम्वत 1990 के अनुसार चक 32 एच के मु.न. 27 के किला न. 15 में 0.76 हैक्टर व मु.न. 24 के किला न. 1 ता 3 सालम, किला न. 4 के 0.240 हैक्टर, किला न. 5 के 0.114 हैक्टर, किला न. 7 के 0.051 हैक्टर, किला न. 8 के 0.202 हैक्टर, किला न. 9 ता 11 सालम किला न. 12 के 0.127 हैक्टर किला न. 20 के 0.051 हैक्टर, कुल 2.303 हैक्टर व मु.न. 26 के किला न. 1 के 0.228 हैक्टर, किला न. 2 के 0.227 हैक्टर, किला न. 3 के 0.063 हैक्टर, किला न. 9 के 0.063 हैक्टर, किला न. 10 के 0.013 हैक्टर, कुल 0.594 हैक्टर व मु.न.10 के किला न. 1

के 0.253 हैक्टर, किला न. 2 के 0.228 हैक्टर, किला न. 3 के 0.013 हैक्टर, किला न. 10 के 0.088 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम (गंगनहर के क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवटन एंव विक्रय) नियम 1956 के तहत आवटन नही है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प-7(7) उप-/2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारो से अन्तर राशि वसूल योग्य नहीं है इसलिए इस प्रकरण में राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अन्तर राशि जमा होने से शेष या बकाया नही है। अतः उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी चक 32 एच के मु.न. 27 के किला न. 15 में 0.076 हैक्टर भूमि व मु. न. 24 में 2.303 हैक्टर व मु.न. 26 में 0.600 हैक्टर व मु.न. 10 में 0.520 हैक्टर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार चक 32 एच के मु.न. 27 के किला न. 15 में 0.076 हैक्टर भूमि व मु. न. 24 में 2.303 हैक्टर व मु.न. 26 में 0.594 हैक्टर व मु.न. 10 में 0.582 हैक्टर बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित है। कोई अन्तरराशि देय नहीं है। पटवारी हलका 32 एच की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा पर मौके पर नहरी से सिचाई की जाती है। मु.न. 27, 10, 26, 24 की पानी की पर्चीया प्रार्थी गुरनेब सिंह के नाम बंधी हुई है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 32 एच के मु.न. 27 के किला न. 15 में 0.076 हैक्टर भूमि व मु. न. 24 में 2.303 हैक्टर व मु.न. 26 में 0.594 हैक्टर व मु. न. 10 में 0.582 हैक्टर बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो व पंजाब नैशनल बैक शाखा श्री करणपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.01.09 16:37:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: